



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail - [eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in)

पत्रांक 1178/09(108)/16

देहरादून, दिनांक 18 अक्टूबर, 2016

: परिपत्र :

लोक निर्माण विभाग में देश की स्वतंत्रता से पूर्व 26 पुल, लगभग 40 वर्ष पुराने 328 पुल हैं। सभी पुलों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए रेटिंग भी किया जाना है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दुर्घटना का अंदेशा न रहे। अब वर्षाऋतु समाप्त हो चुकी है। अतः यह आवश्यक है कि क्षेत्रान्तर्गत सभी सेतुओं का निरीक्षण नियमानुसार व उनके स्पान को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में सुनिश्चित किया जाना है। इस हेतु आई0आर0सी0एस0पी0-18 एवं आई0आर0सी0एस0पी0-35 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप सेतुओं का निरीक्षण पूर्ण सूक्ष्मता सहित विस्तृत रूप से किया जाना आवश्यक है। सभी सेतुओं पर आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है :-

1. General
2. Foundation & Scouring
3. Protective Works
4. Corrosion in Bridge
5. Members
6. Expansion Joints & Bearings

अतः निर्दिष्ट किया जाता है कि आगामी एक माह के अन्तर्गत सभी प्रकार के सेतुओं के सम्बन्ध में उक्तानुसार कार्यवाही करते हुए ब्रिज रजिस्टर में अंकित किया जाना सुनिश्चित कर लिया जाय।

(एच0के0 उप्रेती)  
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। अनुपालन आख्या से भी अवगत करायें :-

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सेवा में सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/II, सिविल/रा0मा0/ए0डी0बी0/आपदा/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/रा0मा0/ए0डी0बी0/आपदा/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिविल/रा0मा0/ए0डी0बी0/आपदा/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. अधिशासी अभियन्ता (IT), विभागाध्यक्ष कार्यालय को Website पर प्रकाशित करने हेतु।

IT head (op)

Website में Upload करवाये।

18/10/16

प्रमुख अभियन्ता  
लोक निर्माण विभाग